न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 89/2019

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थीगण :

बाबुलाल पुत्र बालाराम उर्फ बालुराम जाति ब्राह्मण फागलो की ढाणी के पास बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर
2. जुगलकिशोर पुत्र गुदड़राम
3. जमना देवी पत्नि गुदड़राम
4. विक्रम पुत्र गुदड़राम

जातियान ब्राह्मण फागलो की ढाणी के पास बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री अब्दुल सलीम खान सिन्धी प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 26.02.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी की सहखातेदारीसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.5371 हैक्टयर (9 बीघा 10 बिस्वा) किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है जिसमें 1/2 वां हिस्सा प्रार्थी का निहीत है तथा 1/6 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 जुगलकिशोर, अप्रार्थी सं. 3 जमनादेवी, का 1/6 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 का विक्रम का 1/6 वां हिस्सा दर्ज सुदा है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है । जो बाद पारिवारीक बंटवाड़े का प्रार्थी के बंट व हक हिस्से में आयी हुई है । जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है । उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 12 का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है । जिसमें प्रार्थी को अपना बंट खसरा नम्बर 55/67 के चिपते हुए खसरानम्बर 12 में से 1/2 वां हिस्सा बंट में रखा जाकर मौके पर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया हुआ है । जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है । खसरा नम्बर 55/60 के माठ के चिपते हुए प्रार्थी की ट्युब्वेल खुदी हुई है । उक्त खसरा नम्बर 12 में अपने बंट की भूमि में प्रार्थी में आवागमन हेतु प्रार्थी मुख्य सड़क से कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 55/64 तक खसरा नम्बर 55/67 राजकीय सरकारी भूमि खसरा नम्बर 55/67 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे प्रार्थी वर्णित खसरा नम्बर 12 में काश्त करने हेतु व अन्य प्रकार से उपयोग उपभोग व देख रेख करने हेतु आवगमन करता आ रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर 12 में आने जाने हेतु अनरूा कोई रास्ता रेकर्ड व मौके पर मौजुद नही है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 12 में आवागमन हेतु खसरानम्बर 55/67 की पश्चिम माठ के सहारे–सहारे 30 फिट चौड़ाई में खसरा नम्बर 55/67 में से खसरा नम्बर 13

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned with CamScanner

की पूर्वी माठ के समानातंर रास्ते के रूप में कटाणी रास्ते तक राजकीय रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमावें एवं अन्य निकटतम व शुलमतम व वैकल्पिक रास्तो हो तो दिलावे ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के समन बाद तामिल प्राप्त हाने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब/मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा नम्बर 55/67 रकबा 12.10 बीघा किस्म गै.मु.मगरा राजकीय भूमि के खाते में दर्ज है । वर्तमान में मौका फर्द में दर्शाये गये नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 55/67 गै.मु.मगरा में प्रार्थी द्वारा रहवासीय ढाणी मय बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें आने जाने हेतु उक्त खसरा नम्बर 55/67 में गै.मु.मगरा राजकीय भूमि में से प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गयी है जबकि आने जाने हेतु खसरा नम्बर 55/64 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 55/67 गै.मु.मगरा में से संलग्न फर्द मौका में दर्शाये गये नजरी नक्शे में वर्तमान में चालू रास्ते में से कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नही है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत काबिल खारिज है।

बहस वकुलाय सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में आने जाने हेतु पीढ़ियो से कदीमी रास्ता है, जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है । जिसकी चौड़ाई 15 फीट से अधिक है । वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जावें एवं नक्शे में तरमीम किया जावे । इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थी, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को हड़पना चाहता है । प्रार्थी ने पूनाराम के सभी वारिस जो खसरा नम्बर 153 के हिस्सेदार हैं, को पक्षकार नही बनाया है इसलिएं खातेदार के पीठ पीछे कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है ।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस पक्षकारान सुनी गयी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपेार्ट व समस्त दस्तावेजात अंनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 12 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरानम्बर 55/67 गै.मु.मगरा के पूर्वी माठ से दिया जाना प्रस्तावित है । जो सबसे कम दूरी का उपयुक्त रास्ता है । मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 12 में आने जाने हेतु राजकीय खसरा नम्बर 55/67 मौका फर्द में दर्शाये लाल स्याही के मार्क अनुसार अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है। अृतः राजस्व ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 12 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरानम्बर 55/67 के पूर्वी माठ के सहारे–सहारे मौका फर्द में दर्शाये लालस्याही से दर्शाये अनुसार 20 फीट चौड़ाई भूमि रास्ते हेतु घोषित की जाती

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned with CamScanner

है। तहसीलदार पीपाड़ शहर डीएलसी दर अनुसार मालियत की गणना कर प्रार्थीगण से प्राप्त कर सरकार के नाम से राजकोष में चैक/डी.डी. के माध्यम से भुगतान करें । तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश दिया जाता है कि रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करे । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.02.2020 संलग्न मौका फर्द व नजरी नक्शा को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)